29/8/16 पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील उभय पक्ष हाजिर। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमियां ख.नं. 3852, 3854, 3855, 3856 व ख.नं. 3853 ग्राम पलसाना में अवस्थित है जिनके गत ख.नं. 782, 783 व 784 थे। प्रार्थी एवं प्रतिवादीगण नं. 3 ता 8 की वंशावली पैरा नं. 3 के अनुसार है। उक्त भूमियों के 3/4 भाग का खाता व कब्जा काश्त प्रार्थी के पड़दादा काना पुत्र गोपा के नाम चला आ रहा है। जिनके देहान्त के बाद प्रार्थी के दादा परसा व उनके भाई चूना व नारायण प्रत्येक 1/4 भाग के खातेदार काश्तकार हो गये। प्रार्थी एवं प्रतिवादीगण 3 ता 8 वादग्रस्त भूमियों के 1/20 हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। परसा की मृत्यु के बाद खातेदारी प्रतिवादी नं. 3 के नाम अंकित हो गई पर वह प्रतिवादी की स्वअर्जित भूमि नहीं होकर प्रार्थी एवं प्रतिवादी 3 ता 8 की पैतृक भूमियां हैं। प्रार्थी 1/20 हिस्से में से 1/7 अर्थात विवादित भूमियों में से 1/140 हिस्से की खातेदारी उद्घोषणा कराने का अधिकारी है। प्रार्थी नं. 2 सवर्ण जाति का व्यक्ति है और वादग्रस्त अराजीयात अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम होने से अपने गिरोह द्वारा प्रतिवादी नं. 3 से व उसकी बहिन नाथी से विक्रय पत्र पंजीबद्ध

सहायक कलक्टर (मु.)
सीकर

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर
मुकेश कुमार बनाम बंशीधर आदि
84/2015
//
करवा लिया जो प्रार्थी के हितों के विरुद्ध अवैध एवं प्रभावशून्य है। उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर अप्रार्थीगण द्वारा गलत रूप से नामान्तरकरण भी तस्दीक करवा लिया। अप्रार्थीगण भू-माफिया गिरोह के व्यक्ति हैं जो प्रार्थी एवं प्रतिवादी नं. 3 से 8 की भूमियों पर बलात कब्जा करने एवं हस्तान्तरण करने पर आमादा हैं। अतः उन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 3 व 4 के बावजूद तामील न्यायालय में हाजिर नहीं आने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी नं. 1 व 2 ने हाजिर आकर जरिये अधिवक्ता जवाब पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी से फूलाराम का हिस्सा सम्पूर्ण, करीब 10 वर्ष पूर्व क्रय कर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। किसी दीगर व्यक्ति का इसमें कोई हक-अधिकार नहीं है। विक्रय पत्र को प्रभावहीन, शून्य घोषित सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। वर्तमान में अप्रार्थी नं. 1 खातेदार है। जिसे अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने बहस विद्वान वकील पक्षकारान सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी सम्वत 2066-69 वाले ग्राम पलसाना के खाता नं. 115 व 119 के अनुसार विवादित कृषि भूमियां ख.नं. 3853 ता 3856 में से 1/10 भाग की खातेदारी अप्रार्थी नं. 1 के नाम दर्ज है। उक्त भूमियां पूर्व में गिरधारी,

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

बनवारी पि० चूना हि० 1/4 नारायणा परसा पि० काना 1/2 जाति बलाई गुलजारीलाल पुत्र ज्ञान की लाल खातेदार के नाम अंकित थी जिनकी पुष्टि नकल जमाबंदी सम्वत 2054-57 से होती है। प्रार्थी परसा का पोता होने से पैतृक भूमियों में अपने पिता को प्राप्त हिस्से में से अपने हिस्से की भूमि की खातेदारी उद्घोषणा कराना चाहता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी उक्त अनुतोष प्राप्त करने का हक व अधिकारी है जो कि वाद के अन्य साक्ष्यों के आधार पर तय किया जावेगा। परन्तु दौराने वाद वादग्रस्त आराजीयात के हस्तान्तरण से प्रार्थी के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा एवं अनावश्यक वाद-बाहुल्य बढ़ेगा। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० का० अधिनियम 1955 स्वीकार कर अप्रार्थीगण को वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि विवादित कृषि भूमियों ख०न० 3852 लगायत 3856 वाके ग्राम पलसाना तहसील दांतारामगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड की वर्तमान स्थिति को परिवर्तित नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर (मु०)
सीकर

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु०)
सीकर

Scanned by CamScanner